HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15033/2025

Bhairu Lal Alias Raghav S/o Shri Kiran Prajapat, Aged About 28 Years, R/o Jato Ka Nimbhera Police Station Kareda District Bhilwara Rajasthan (Presently Lodged In Dist. Jail Bhilwara)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Kanhaiya Lal S/o Lakshman Singh Badwa, R/o Jhadol Raipur Bhilwara District Bhilwara Rajasthan

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Shive Kumar Bhati
For Respondent(s) : Mr. Surendra Bishnoi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

12/03/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, पुलिस थाना **रायपुर (भीलवाड़ा)**, जिला **भीलवाड़ा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **240/2025**, अपराध अन्तर्गत धारा **137(2), 87, 351(3), 127(4), 64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट** के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में पीड़िता बतौर पी.डब्ल्यू.1 व पीड़िता के भाई मुस्तगीस बतौर पी.डब्ल्यू.2 के बयान विचारण के दौरान हो चुके हैं। दोनों पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं। पीड़िता ने प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा स्वयं का अपहरण नहीं करना तथा न ही कुछ गलत काम करना अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में बताया है। प्रार्थी–अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस की ओर से अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने में अनापत्ति प्रकट की गई।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों गवाहान के बयानों का अवलोकन किया गया। पी.डब्ल्यू.1 व पी.डब्ल्यू.2 अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं। पीड़िता ने अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त भैरू ने न तो उसका अपहरण किया और न ही उसके साथ गलत काम किया।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए इस स्टेज पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **भैरू लाल उर्फ राघव पुत्र किरण प्रजापत** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

19-divyashri/heena-